



①

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)


—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक/6928 /NRLM/संविदा नियुक्ति/2026

राजनांदगांव, दिनांक 7/03/2026

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अं.चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत जिला/विकासखण्ड स्तर पर रिक्त विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक के 2 पद, क्षेत्रीय समन्वयक के 9 पद, लेखापाल के 2 पद, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक के 2 पद तथा भृत्य के 1 पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में अंतिम तिथि 17/04/2026 को कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित किया गया है।

विज्ञापित पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन की प्रति, आवेदन पत्र का प्रारूप व विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा जिला राजनांदगांव की वेबसाइट rajnandgaon.nic.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

// संशोधित विज्ञापन //

क्रमांक ESTB/8105/2026-ZP RJN NRLM SEC (Draft No. 180456) राजनांदगांव, दिनांक /03/2026

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 306/3433/2024/22-1, दिनांक 17/01/2025 एवं पत्र क्रमांक ESTB/2721/2025/22-2 दिनांक 17/02/2026 में प्रदाय स्वीकृति के आधार पर विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025, दिनांक 17/01/2025 एवं पत्र क्रमांक ESTB/1107/2025-Section CGSRLM, दिनांक 23/02/2026 के माध्यम से प्रदाय निर्देशानुसार तथा जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत की गयी अनुशंसा के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अं.चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत जिला/विकासखण्ड स्तर के संविदा के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती (संविदा नियुक्ति) हेतु वांछित अर्हताधारी तथा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में निर्धारित अंतिम तिथि 17/04/2026 को कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

अ/ पदों का विवरण :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पद	रिक्त पदों का वर्गवार विवरण								
			अनारक्षित			अ.पि.व.		अनुसूचित जाति (अ.जा.)		अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)	
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	क्षेत्रीय समन्वयक	9	2	1	1 (OL)	1	-	1	-	3	-
3	लेखापाल	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
5	लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	भृत्य	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल -		18	5	2	1	2	0	2	0	6	0

टीप :- 1. विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है, तथा भर्ती के आंशिक भाग अथवा पूर्ण भाग को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

ब/ पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुस्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	शिक्षा - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/द्विवर्षीय डिप्लोमा। अनुभव - स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	15



3

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

/02/

क्र.	पदनाम	एकमुस्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	<p>शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट। अनुभव - स्नातक उपाधि उपरांत विकासखण्ड/कलस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</p>	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
लिखित/कौशल परीक्षा	10				
3	लेखापाल	23,350	<p>शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता - टेली सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अनुभव - स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</p>	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
लिखित/कौशल परीक्षा	10				
4	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	23,350	<p>शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेसन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। अनुभव - वांछित शैक्षणिक अर्हता उपरांत संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</p>	बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	45
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10



कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

/03/

क्र.	पदनाम	एकमुस्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
5	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	23,350	शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता - टेली सर्टीफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अनुभव - स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10
6	भृत्य	14,400	शिक्षा - मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण। अनुभव - न्यूनतम एक वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य (केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/ गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) से अनुभव।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	85
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05

स/ नियम एवं शर्तें :-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में निर्धारित अंतिम तिथि 17/04/2026 को कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक प्राप्त होने पर स्वीकार किये जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से तथा निर्धारित समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को अपना आवेदन बंद लिफाफा में प्रेषित करना होगा, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम, संवर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
- अभ्यर्थी को पत्राचार हेतु पृथक से एक खाली लिफाफा रु. 5/- के डाक टिकट सहित स्वयं का नाम एवं पता लिखा हुआ आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी को आरक्षित पदों में आवेदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- समस्त पदों हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01/01/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी।

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

/04/

7. आवेदन में आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज स्व-प्रमाणित होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर, 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा नियुक्ति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र के प्रासंगिक अनुभव ही मान्य होंगे। पद से संबंधित प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव विज्ञापन जारी तिथि तक के मान्य होंगे तथा एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव पर मेरिट हेतु अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
15. आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय अदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित/कार्यालय का दूरभाष नंबर तथा ई-मेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा- जिसके लिए आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास होगा।
16. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा।
19. आवेदित किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
20. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
21. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
22. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

/05/

23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
24. यदि किसी आवेदक को अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को "ए+" ग्रेड मिला हो तथा "ए+" ग्रेड 91 से 100 प्रतिशत हेतु निर्धारित हो तो उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत (औसत) मानकर, इसी प्रकार A ग्रेड = 81-90 औसत 85%, B+ ग्रेड = 71-80 औसत 75%, B ग्रेड = 61-70 औसत 65%, C+ ग्रेड = 51-60 औसत 55%, C ग्रेड = 41-50 औसत 45%, अनुसार औसत प्रतिशत अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी। अन्यथा आवेदक को संबंधित बोर्ड/संस्था से प्रमाणिक अंक प्रस्तुत करना होगा।
25. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त कुल आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को मेरिट (वरीयता) आधार पर पदवार सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुणा से अधिक होती है, तो वरीयता क्रम के आधार पर चयन प्रक्रिया के आगामी चरण (साक्षात्कार/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा) हेतु 01 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक तथा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर सूचीबद्ध किया जावेगा, जिसमें वरीयता क्रम में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जावेगी।
26. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक तथा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदक वरीयता आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं इस सूची की वैधता 01 वर्ष के लिए होगी, जिसके दौरान पद रिक्त होने पर उसे वरीयता क्रम के आधार पर प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
27. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा। लेखापाल एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक के पद हेतु समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता प्रथमतः वांछनीय योग्यता के आधार पर निर्धारित की जावेगी, तत्पश्चात् अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
28. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
29. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव के नोटिस बोर्ड एवं जिला राजनांदगांव की वेबसाइट rainandgaon.nic.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।
30. चयन प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु सतत् रूप से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल के साथ-साथ जिला राजनांदगांव की वेबसाइट rainandgaon.nic.in का सतत् अवलोकन किया जावे।
31. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिला राजनांदगांव की वेबसाइट rainandgaon.nic.in में किया जावेगा, जिसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।
32. यदि आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
33. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
34. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के पास सुरक्षित रहेगा।

(कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

SURUCHI SINGH

Date: 30-03-2026

मुख्य कार्यालय अधिकारी

जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

11. अनुभव का विवरण – (अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह

12. वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी विवरण, यदि हो तो
(नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	राज्य/जिला/ विकासखण्ड का नाम	पदनाम	संस्था/विभाग का नाम	नियुक्ति दिनांक

13. वैवाहिक स्थिति

- (क) विवाहित/अविवाहित :
- (ख) यदि विवाहित तो, विवाह दिनांक :
- (ग) जीवित संतान की संख्या :

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम –

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियाँ पूर्ण एवं सत्य है। भविष्य में किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ/दस्तावेज असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त/सेवायें समाप्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम –